

दिनांक	आज्ञा पत्र
5-6-23	<p>पत्रावली प्रस्तुत/वकील अपीलंट/रेसपोन्सिबल मीठा मीठा अधिकारी महोदय आज..... 5.6.23 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 1.6.23 को पेश हों।</p>
<p>18-8-24 18-9-24</p>	<p>पत्रावली को न्यायालय के 29313 क्र. 16-2-23 के बिन्दु सिगास के प्रावली प्रस्तुत करने पर प्रावली मुद्दा के रा. न्यायालय को प्रस्तुत क्र. 16-2-23 निम्न सिगास मुद्दे का संबंधी है पत्रावली जहाँ अर्थात् मीठा के न्यायालय के क्र. न्यायालय को न्यायालय का क्र. क्र. 16-2-24 के क्र. 16-2-24</p> <p style="text-align: right;"> मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर </p>
1-10-24	<p>पत्रावली को न्यायालय के क्र. 16-2-24 क्र. 16-2-24 के क्र. 16-2-24</p> <p>पत्रावली पेश अपीलंट/रिस्पोंडेंट के अधिवक्ता न जाहिर किया है कि यह अपील धारा 212 में पारित आदेश के विरुद्ध धारा 225 में प्रस्तुत की गई है। इस प्रकरण में मूलवाद का निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में यह अपील प्रभावहीन हो चुकी है इसे खारिज किया जावे। चूंकि विचारण न्यायालय में मूलवाद खारिज हो चुका है अतः यह अपील प्रभावहीन हो चुकी है। फलस्वरूप अपील अपीलंट प्रभावहीन होने से खारिज कर दी गई है। न्यायालय के क्र. सरे इजलासा सुनाया गया। पत्रावली को न्यायालय के क्र. नम्बर से कम होकर बाद तरजीब सुकरील सुकरील दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;"> मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर </p>



18-9-24

[Handwritten signature]